ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर (छ.ग.)

// निविदा आमंत्रण //

क्र./42/वाहन–निविदा/TPSIPRD/2021–22 निमोरा, रायपुर, दिनांक 07/01/2021

संस्थान में ए.सी./नॉन ए.सी. किराये का वाहन (कार/बस) उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत ट्रेवलिंग एजेंसी/प्रतिष्ठानों/व्यक्तियों से वर्ष 2021–22 के लिये मुहरबंद निविदाऐं **दिनॉक 11/02/2021 अपरान्ह 2.00 बजे** तक विशेष वाहक अथवा डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 200/– है, जो संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के नाम से देय होगा एवं यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी। (अगर ई–मेल भेजकर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये गये है तो रू. 100/– का ड्राफ्ट अलग से भेजना होगा)

निविदा दो अलग–अलग सील बंद लिफाफों (तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा)में भरी जायेगी जिन्हें एक अलग आवरण लिफाफे में रख कर मुहरबंद किया जायेगा।

तकनीकी निविदा के लिफाफे में रखें

(1) अमानत राशि रू. 20,000/– (बीस हजार रूपये मात्र) का ड्राफ्ट संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर के नाम देय होगा।

(2) प्रपत्र – अ की पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी

(3) स्व–घोषणा पत्र।

वित्तीय निविदा के लिफाफे में रखे

1. प्रपत्र–ब वित्तीय निविदा (दर)

वेंडर द्वारा प्रस्तुत दर में, शासन को देय समस्त कर (GST को छोड़कर) शामिल कर निविदा प्रस्तुत किया जावे

समय सारणी –

निविदा प्रपत्र बिक्री प्रारंभ की तिथि/समय	दिनांक 11/01/2021 से 10/02/2021 तक (कार्यालयीन समय 10.00 से 5.00 बजे तक)
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 11/02/2021, अपरान्ह 2.00 बजे
निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि	दिनांक 11/02/2021, अपरान्ह 3.00 बजे

अपरिहार्य कारणवश निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि व समय में परिवर्तन कर सकने का अधिकार संचालक, TPSIPRD के पास सुरक्षित रहेगा लेकिन इसकी सूचना निविदाकार को भी यथासमय दी जावेगी।

निविदा की पात्रता एवं शर्तें

1. जो निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जाएगी तथा वापस लौटा दी जाएगी।

2. निविदा जमा करने का तात्पर्य यह लगाया जायेगा, कि निविदाकार को संस्थान की सभी शर्तें मंजूर है। विशेष परिस्थिति में, निविदा/कार्य की शर्तों को शिथिल किये जाने का अधिकार संस्थान के संचालक के पास सुरक्षित होगा।

3. निविदा प्रपत्र का कोई भी कालम खाली न छोडा जावें, अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकेगी। जहां कहीं काट–छाट हो, उसका सत्यापन निविदाकार द्वारा अपना लघु हस्ताक्षर करके किया जावे। वित्तीय निविदा में राशि अंक तथा शब्द दोनों में लिखी जावे। जहां अंक एवं शब्द में अंतर हो वहां शब्द में लिखी राशि को मान्य किया जावेगा।

4. शासन द्वारा निषिद्ध अथवा अपात्र घोषित वेंडर, संस्थान में बीच में ही कार्य छोड़ कर चले जाने वाले अथवा कार्य प्रारंभ न करने वाले वेंडर, किसी न्यायालय में जिनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण लंबित हो अथवा विगत 03 वर्षों में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो ऐसे वेंडर की निविदा विचार योग्य नहीं होगी। इस संबंध में निविदाकार को स्व–घोषणा पत्र देना होगा।

6. दो या दो से अधिक निविदाकार की निविदा दर एक समान होने की स्थिति में न्यूनतम निविदा का चयन, निविदाकार के शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में कार्यानुभव एवं गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा।

7. बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर का होगा।

प्रपत्र–अ

ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा रायपुर (छ.ग.)

संस्थान में किराये की बसें उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत ट्रेवलिंग एजेंसी/प्रतिष्ठानों/व्यक्तियों से वर्ष 2021––22

// तकनीकी निविदा प्रपत्र //

1. निविदाकार का नाम का नाम एवं : .....
   पूरा पता दूरभाष क्र./मोबाईल क्र./फैक्स नं. : .....
   ई–मेल आई डी : .....
2. ट्रेव्हलिंग कार्य का जीवित पंजीयन क्र. : .....
   जब से कार्यरत् है उसका वर्ष : .....
3. निविदाकार के पास उपलब्ध वाहनों (कार/बस) का : कार – .....
   प्रकार एवं संख्या (कम से कम 03 स्वयं के नाम .....
   होना अनिवार्य है) .....
   .....
   .....
   बस–.....
   .....
   .....
4. प्रत्येक उपलब्ध वाहनों टैक्सी/व्यावसायिक के रूप में : .....
   जीवित पंजीयन क्रमांक एवं आर.सी.की फोटोकॉपी
   संलग्न करें
5. आयकर का जीवित पंजीयन एवं पेन नम्बर : .....
   (छायाप्रति संलग्न करें)
   GST पंजीयन क्रमांक (छायाप्रति संलग्न करें) : .....
7. विगत 03 वर्षों का रोड टैक्स, GST और इंकम टैक्स : .....
   जमा करने का ब्यौरा (छायाप्रति संलग्न करें)
8. शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायत्तशासी संस्थान में : .....
   विगत 03 वर्षों में कार्य किये जाने का अनुभव
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. अमानत राशि (रू. 20,000) डी.डी/एफ.डी.आर.क्रमांक : .....

हस्ताक्षर
नाम तथा सील अंकित करते हुये

प्रपत्र–ब

ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा रायपुर (छ.ग.)
संस्थान में किराये का वाहन उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत ट्रेवलिंग एजेंसी / प्रतिष्ठानों / व्यक्तियों से वर्ष 2021–22

// वित्तीय निविदा प्रपत्र (निविदत्त दर) //

क्र.	वाहन समूह	AC				Non AC			
		किराया आधा दिन 6 घंटे 50 कि.मी.	किराया प्रतिदिन 100 कि.मी.	किराया प्रतिमाह	अतिरिक्त किराया दर प्रति कि.मी.	किराया आधा दिन 6 घंटे 50 कि.मी.	किराया प्रतिदिन 100 कि.मी.	किराया प्रतिमाह	अतिरिक्त किराया दर प्रति कि.मी.
1	आल्टो								
2	टाटा इंडिका								
3	टाटा जेस्ट								
4	स्विफ्ट								
5	स्विफ्ट डिजायर								
6	स्कार्पियो								
7	बोलेरो								
8	क्रेटा								
9	होण्डा सिटी								
10	इनोवा क्रिस्टा								

क्र.	वाहन समूह	AC				Non AC			
		किराया आधा दिन 6 घंटे 50 कि.मी.	किराया प्रतिदिन 100 कि.मी.	किराया प्रतिमाह	अतिरिक्त किराया दर प्रति कि.मी.	किराया आधा दिन 6 घंटे 50 कि.मी.	किराया प्रतिदिन 100 कि.मी.	किराया प्रतिमाह	अतिरिक्त किराया दर प्रति कि.मी.
1	लग्जरी बसें								
2	20 सीटर								
3	35 सीटर								
4	52 सीटर								

हस्ताक्षर निविदाकार

नियम व शर्तें

1. निविदा स्वीकृत होने के 15 दिनों के भीतर संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा के साथ 100 रूपये के गैर–अदालती स्टाम्प पेपर में अनुबंध निष्पादित करना होगा एवं रूपये 20,000 हजार रूपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।
2. अनुबंध की अवधि अनुबंध करने की तिथि से एक वर्ष की होगी, जिसे दोनो पक्ष आपसी सहमति से 06 माह और बढ़ा सकेंगे। इस बढ़ी हुई अवधि में अनुबंध की दर एवं शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
3. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का जीवित वैध टेक्सी पंजीयन, परमिट तथा फिटनेस प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
4. वाहन प्रतिदिन (12 घंटे) दर में 100 कि.मी. एवं प्रति अर्द्ध दिवस (06 घंटे) किराया दर में 50 कि.मी. या प्रतिमाह दर में 2500 कि.मी. चलने के उपरांत प्रति कि.मी. न्यूनतम मान्य दर से भुगतान किया जावेगा जिसमें पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
5. वाहन का मीटर रिडिंग मुख्यालय से दर्ज किया जावेगा। मुख्यालय पर (रात्रि कालीन) रहने पर कोई अतिरिक्त भार (हॉल्टिंग चार्ज) देय नही होगा। वास्तविक परिचालन का ही भुगतान होगा।
6. वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य होगा। निविदाकार (अनुबंधकर्ता) द्वारा समस्त प्रकार के वैधानिक कर यथा वाहन का पार्किंग शुल्क/रोड टैक्स/बीमा (कम्प्रेहेन्सिव)/आयकर/सेवा कर/टोल टैक्स/GST एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क/टैक्स आदि के भुगतान के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. वाहन चालक का व्यय संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक अवकाश या अस्वस्थ होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे योग्य अर्हता–प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करना होगा। यदि विभाग द्वारा वाहन चालक की व्यवस्था की जावेगी तो उसका भुगतान राशि वाहन मालिक को देय बिल से काट कर दी जायेगी एवं समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की होगी। वाहन चालक डयूटी के समय वर्दी में रहेगा।
8. वाहन की मरम्मत रख–रखाव एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन खराब होने पर मरम्मत, रख–रखाव हेतु तथा मालिक द्वारा वाहन वापस लिये जाने की स्थिति में मालिक द्वारा दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है तो व्यय पूर्ति का दायित्व वाहन मालिक की होगी।
9. किराये पर लिये गये वाहन 03 वर्ष से अधिक पुराना पाये जाने पर या अच्छी स्थिति में नहीं होने पर वाहन तत्काल हटा दिया जायेगा तथा देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा।

क्रमश :– 2

10. देयक तीन प्रतियों में लॉगबुक/लागकार्ड के साथ वाहन छोडने के एक सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयकों का भुगतान निविदाकार (अनुबंधकर्ता) द्वारा सूचित बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित किया जायेगा।
11. वाहन रखने की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार संचालक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा का होगा। उनके द्वारा वाहन अनुबंध को 15 दिन पूर्व सूचना दिया जाकर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा व वाहन मालिक द्वारा भी 15 दिन पूर्व सूचना पर अपना वाहन हटाने का विकल्प होगा।
12. शर्तों का उल्लंघन करने पर वाहन को हटा दिया जायेगा एवं वाहन का किराया भी देय नहीं होगा।
13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निराकरण महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा द्वारा किया जावेगा, तथा उसकी सीमा क्षेत्र रायपुर छ.ग. होगा।
14. निविदाकर्ता के पास स्वयं के कम से कम तीन वाहन होना अनिवार्य है। वाहन वर्ष अक्टूबर 2017 या उसके बाद के क्रय किया गया हो। इन वाहनों के पंजीयन संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न किया जावें।
15. न्यूनतम निर्धारित दरों पर वाहन किसी भी एजेंसी से लेने का अधिकार संबंधित विभाग का रहेगा।
16. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित ट्रेव्हल्स एजेंसी की होगी, अनुपलब्धता की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा अन्य एजेन्सी से वाहन प्राप्त किया जावेगा और किराया अधिक होने पर अंतर की राशि निविदाकार से वसूली जायेगी।
17. यदि निविदाकर्ता की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर 01 माह पूर्व सूचना देकर निविदाकर्ता की निविदा समाप्त की जा सकेगी। इसी तरह निविदाकर्ता भी 01 माह पूर्व सूचना देकर अपना इकरारनामा निरस्त कर सकता है।
18. निविदा की पात्रता एवं शर्तें की बिंदु क्र. 04 का निविदाकार द्वारा पालन एवं उक्त बिंदु में वर्णित विवरण के संबंध स्व घोषण पत्र, इस संस्थान में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

————————XXXXXX————————

//स्व–घोषणा शपथ पत्र//

मैं ..... पिता ..... उम्र .....वर्ष निवासी ..... जिला ..... राज्य ..... शपथपूर्वक कथन करता हूं कि ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर को वर्ष 2021–22 में किराये का वाहन उपलब्ध कराने हेतु मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में जो जानकारी दी गई है, वह मेरे विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सही है। मुझे या मेरे फर्म को विगत 03 वर्षों में किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी जॉच में यदि असत्य पायी जाती है तो संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा द्वारा मेरी निविदा निरस्त किये जाने अथवा मेरी जमानत की सम्पूर्ण राशि अधिग्रहित किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नही होगी।

हस्ताक्षर निविदाकर्त्ता